पत्रांक 10/म4-41/2006 ......552......   NOC

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य
उप सचिव,

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक......29/06/10......

विषय : डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, डेहरी पटना रोड, डालमियानगर, डेहरी ऑनसोन, रोहतास को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-236 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, डेहरी पटना रोड, डालमियानगर, डेहरी ऑनसोन, रोहतास को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय दयानंद एंग्लोवैदिक कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसाइटी के अधीन संचालित है। उक्त ट्रस्ट में [illegible] एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा सदस्य पता भी दिया गया है।

2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेंचाइजी अथवा किसी विद्यालय के नाम का उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को सी०बी०एस०ई० के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को [illegible] उपस्कर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है।

4. विद्यालय में शिक्षक कि नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई है। विद्यालय में [illegible] ([illegible]) शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक [illegible] आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को [illegible] करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि वो विभागीय अधिसूचना संख्या-236, दिनांक [illegible] 2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार्य है।

MANAGER
D.A.V. PUBLIC SCHOOL

अपेक्षित शर्तों के अनुरूप [illegible]

अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रूपया प्रतिवर्ष होगी, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चे एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. सम्बद्धता बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी संबद्धता के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित मापों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-16, दिनांक 19.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के किसी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, डेहरी पटना रोड, डालमियानगर, डेहरी ऑनसोन, रोहतास को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन,

ह०/
(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव

ज्ञापांक...... 552 ....

दिनांक.................................

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास को उनके पत्रांक 473 दिनांक 20.04.2010 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव

ज्ञापांक .... 552 ....

दिनांक 29/06/10

प्रतिलिपि : प्राचार्य, डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, डेहरी पटना रोड, डालमियानगर, डेहरी ऑनसोन, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव

MANAGER
D.A.V. PUBLIC SCHOOL